न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर(हनुमानगढ़)

(पीठासीन अधिकारी श्री नारायण सिंह चारण आर0ए0एस)

निगरानी सं0 08 / 2017

1. श्रीमती दयावन्ती पत्नी श्री महावीर फौजी जाति शर्मा निवासी बडबिराना तहसील नोहर।

— प्रार्थी

बनाम

1. अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर तहसील नोहर।
2. हरीराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी वार्ड न0 25 नोहर तहसील नोहर।
3. सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत चक सरदारपुरा पंचायत समिति नोहर।
4. विकास अधिकारी पंचायत समिति नोहर तहसील नोहर।

—अप्रार्थीगण

निगरानी विरूद्ध निर्णय पंचायत एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर के निर्णय दिनांक 22.02.2007 व विकास अधिकारी के निर्णय दिनांक 22.02.2007 अपील स0 16 / 002 अनवानी हरीराम बनाम दयावन्ती आदि जिसकी रूह से प्रार्थी का पटटा खारिज किया गया को निरस्त करवाकर पटटा बहाल करवाने बाबत।

उपस्थितः— श्री हरिसिंह सिहाग, अधिवक्ता प्रार्थी

श्री नरेन्द्र किशोर जोशी, अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय **दिनांकः— 20.02.2020**

प्रार्थी ने अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति नोहर के निर्णय दिनांक 22.02.2007 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी पेश कर निवेदन किया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न है —

1. अप्रार्थी संख्या 2 ने एक अपील विकास अधिकारी पंचायत समिति नोहर के दिनांक 27.12.02 इस कथन के साथ पेश कि की वाके चक सरदारपुरा में पूर्णाराम व बस्तीराम जाट का सन् 1977 में जारी किया हुआ पटटा उसके द्वारा जरिये इकरारनाम दिनांक 13.05.1985 को खरीद कर लिया था और इस पटटा शुद्धा भूखण्ड में से 30 गुणा 100 फुट का पटटा प्रार्थीया दयावन्ती के पक्ष में दिनांक

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

05.11.2001 को ग्राम पंचायत द्वारा जारी कर दिया गया था जिसे खारीज फरमाया जावें।

2. उक्त अपील प्रस्तुत होने पर पंचायत समिति द्वारा प्रार्थी को बिना सुने एवं बिना विधिक प्रक्रिया अपनाऐ विकास अधिकारी पंचायत समिति नोहर द्वारा फैसला कर दिनांक 22.02.2007 को पटटा खारिज कर दिया जो कतई विधि विरूद्ध खारीज किया गया है जिससे पिड़ित होकर प्रार्थीया निम्न आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत कर रहा है–

क– प्रार्थीया के पक्ष में ग्राम पंचायत चक सरदारपुरा द्वारा पूरी विधिक प्रक्रिया अपना कर तथा मिसल तैयार कर ग्राम पंचायत के प्रस्ताव स0 2 के अनुसार दिनांक 05.01.2002 को किमतन पटटा जारी किया था इस जगह पर पूर्व में अप्रार्थी स0 3 का कोई पटटा बना हुआ नहीं था इसलिए पंचायत समिति का निर्णय दिनांक 22.02.2007 कतई खिलाफ कानून है।

ख– ग्राम पंचायत के किसी फैसला के खिलाफ पंचायत समिति की प्रशासन एवं स्थापना समिति के समक्ष 30 दिन के अन्दर अपील प्रस्तुत की जा सकती है जबकि यह अपील स0 16/002 विकास अधिकारी के समक्ष एक साल बाद में पेश की गयी है जो बेरून मियाद प्रस्तुत की गयी है तथा विकास अधिकारी के द्वारा ही हस्ताक्षरित कर यह निर्णय पारित किया जाता है जबकि निर्णय प्रशासन एवं स्थापना समिति के प्रस्ताव द्वारा ही पारित किया जाता है और उस पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर होते है ना की विकास अधिकारी के इसलिए यह निर्णय काबिल खारिजी के है।

ग– पंचायत समिति द्वारा यह निर्णय पारित करने से पूर्व ना तो प्रार्थीया को नोटिस दिया गया और ना ही विधिवत सुनवाई का अवसर दिया गया है तथा ना ही पंचायत समिति द्वारा ग्राम पंचायत का रिकार्ड तलब किया गया तथा ना ही मौका कमेटी गठित कर मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई इसलिए बिना विधिक प्रक्रिया अपना विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है जो खारीज फरमाया जावें।

घ– अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा यह पंचायत समिति में यह अपील पंचायत के किसी निर्णय के खिलाफ प्रस्तुत नही की गई है और ना ही निर्णय की कोई प्रति पेश की गयी है केवल मात्र पटटा संख्या 25 की छाया प्रति पेश की गई है जबकि कागज पटटा कोई निर्णय नही होता है निर्णय तो वह पंचायत का प्रस्ताव है जिसके तहत यह पटटा जारी किया गया है इसलिए भी यह निर्णय कतई गलत है।

3. पंचायत समिति के उक्त निर्णय का ज्ञान अब प्रार्थी को उस समय हुआ जब अप्रार्थी स0 3 द्वारा प्रार्थी के भूखण्ड पर जबरिया कब्जा करने की धमकी दी इसलिए नकले आदि प्राप्त कर यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है तथा निगरानी हेतु कोई मियाद नहीं है।

अतः निगरानी प्रस्तुत कर अर्ज है कि पंचायत समिति द्वारा अपील स0 16/02 अनवानी हरिराम बनाम श्रीमती दयावन्ती आदि मे पारित निर्णय दिनांक 22.02.2007 निरस्त फरमाया जाकर प्रार्थी का पटटा स0 25 बहाल किया जावें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निगरानी दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय पंचायत समिति का रिकार्ड तलब किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निगरानी के तथ्यों को दोहराते हुए निवदेन किया कि हमारी निगरानी ही बहस है। दस्तावेज संलग्न किये हुए है। निगरानी स्वीकार करें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि निगरानीकार भूखण्ड बेच चुके है। प्रशासन स्थापना समिति का निर्णय सही है। निगरानी खारीज करें।

बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न अपील संख्या 16/02 बअनवानी हरीराम बनाम दयावंती संलग्न दस्तावेज दिनांक 13.06.1986 एक पंजीकृत दस्तावेज है जिसके द्वारा पूर्णराम से गैर निगरानीकार हरीराम ने भूखण्ड पटटा संख्या 5 दिनांक 18.03.66 कय किया है। अतः इस पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर कय किये गये भूखण्ड के पटटे पर ग्राम पंचायत को ओर पटटा जारी करने का अधिकार नहीं है। पत्रावली में उपलब्ध ग्राम पंचायत चक सरदारपुरा के पत्र दिनांक 18.09.2004 की फोटोप्रति जिसका उल्लेख पंचायत समिति नोहर की प्रशासन एवं स्थापना समिति के निर्णय दिनांक 22.02.2007 में भी किया गया है से प्रथम दृष्टया साबित होता है कि ग्राम पचायत द्वारा भूलवंश पूर्व मे जारी पटटो के आंशिक हिस्सो पर पटटा जारी किया गया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर पंचायत समिति नोहर की प्रशासन एवं स्थापना समिति ने अपने निर्णय दिनांक 22.02.2007 द्वारा निगरानीकर्ता का पटटा खारीज करने में कोई विधिक त्रूटि नही की है अतः निगरानी अस्वीकार की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2020 को टंकित करवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय सुनाया गया। शामिल पत्रावली रहे। निर्णय की प्रति पंचायत समिति को पालनार्थ प्रेषित की जावें।

20/2/2020
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official